न्यायालय द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश उत्पाद
रोहतास, सासाराम
करगहर थाना काण्ड सं. 207 / 2020

अमित कुमार सिंह
बनाम
बिहार सरकार
धारा 438 द.प्र.संहिता

19.10.2020 आवेदक अमित कुमार सिंह की ओर से दिनांक 26.08.2020 को दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 द.प्र.संहिता पर सुनवाई पश्चात अभिलेख को आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदक अमित कुमार सिंह की ओर से इनके विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि इस वाद के सूचक द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत आरोपित करते हुए करगहर थाना काण्ड सं. 207 / 2020 के रूप में प्राथमिकी दर्ज कराया गया है जिसमें आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है और उस गिरफ्तारी के भय से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 द.प्र. संहिता में दाखिल किया गया है तथा अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में ही विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद रोहतास सासाराम श्री रामेश्वर सिंह को दी गयी है।

संक्षेप में अभियोजन का मामला गौतम कुमार पु.अ.नि. करगहर के स्वलिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक दिनांक 08.08.2020 को समय करीब 22.00बजे सशस्त्र बल के साथ रात्रि गस्ती हेतु प्रस्थान किया तथा गस्ती करते हुए पटवाडीह में था तभी गुप्त सूचना मिली कि सासाराम के तरफ से ट्रक पर भारी मात्रा में शराब का खेप आ रहा है। इस सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचक वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए सशस्त्र बल के साथ सिरिसियॉ मोड़ पर समय करीब 02.00बजे आने जाने वाले वाहनों को चेक करना शुरू किया। समय करीब 02.45बजे सासाराम के तरफ से एक ट्रक आया जिसे बल के सहयोग से रोकवाया गया तो पुलिस बल को देखकर एक आदमी ट्रक से कूद कर भाग गया। ट्रक सं. एच. आर.39सी.–6094 का विधिवत चेक करने पर कार्टुन में लदा शराब बरामद किया गया। ट्रक चालक से पूछने पर उसने अपना नाम भोला राम पिता स्व. युगल किशोर सा. मनीभाजरा थाना+जिला चण्डीगढ़ पंजाब बतलाया। चालक भोला राम से पूछताछ करने पर उसके द्वारा बतलाया गया कि शराब का खेप विजय कुमार सिंह पिता दिनेश सिंह सा. सोनवर्षा थाना करगहर जिला राहतास का है। चालक भोला राम द्वारा यह भी बतलाया गया कि ट्रक पर हरेराम सिंह पिता विजय सिंह सा. सोनवर्षा थाना करगहर जिला रोहतास उसके साथ आ रहा था जो पुलिस को देख कर ट्रक से कूदकर भाग गया। चालक भोला राम ने यह भी बतलाया कि विष्णुकान्त पिता विजय सिंह सा. सोनवर्षा थाना करगहर जिला रोहतास एवं अमित कुमार सिंह पिता श्याम बिहारी सिंह सा. बड़की खड़री थाना करगहर जिला रोहतास गाड़ी का इन्तजार कर रहे थें कि सुनसान जगह पर शराब को उतारा जायेगा। ट्रक को चेक करने पर 180एम.एल. शराब का 310पेटी प्रत्येक पेटी में 48पीस (100x48)कुल 14880पीस बरामद हुआ तथा तीन प्लास्टीक के प्रत्येक बोरी में 180एम.एल. का रॉयल सिकरेट व्हिस्की का 100 पीस (100x3) कुल 300पीस कुल शराब की मात्रा 2732.4 लीटर बरामद किया गया तथा ट्रक में से एक जी.पी.एस. सीम नं. 8991013007, 0006438014 एवं ट्रक सं. एच.आर. 39सी.–6094, इंजन सं. 497टी.सी.92ई.एक्स. वाई830319, चेचीस सं. एम.ए.टी.457403सी.7ई.22016 तथा चालक भोला राम के दाहिने पॉकेट से काला रंग का जिओ कम्पनी का मोबाईल जिसमें जिओ कम्पनी का सीम लगा हुआ मोबाईल सं. 8307916424 बरामद किया गया जिसका साक्षी बनने के लिए स्थानीय लोगों से आग्रह करने पर कोई भी व्यक्ति गवाह बनने के लिए तैयार नहीं हुये तब साथ के सिपाही विश्वजीत कुमार पिता नित्यानन्द गिरी सा. रामगढ़ थाना बेलसर जिला बंगाल एवं गृहरक्षक राजकेश्वर सिंह पिता स्व. छठु सिंह सा. कृष्णापुर थाना नोखा जिला रोहतास को साक्षी मानकर बरामद सभी सामानों का जब्ती सूची घटनास्थल पर ही बनाया गया जिस पर दोनों साक्षियों ने अपना अपना हस्ताक्षर स्वेच्छा से बना दिया तथा चालक भोला राम पिता स्व. युगल किशोर सा. मनिभाजरा थाना चण्डीगढ़ जिला चण्डीगढ़ को अवैध शराब, ट्रक से ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी ज्ञापन घटनास्थल पर बनाया गया जिसपर गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना हस्ताक्षर बना दिया। चूंकि बिहार प्रान्त में पूर्ण शराब बंदी है तथा अवैध शराब ले जाना एवं बेचना तथा भण्डारण करना एक संज्ञेय अपराध है जिसके आधार पर आरोपित करते हुए यह काण्ड अंकित

लगातार
19.10.2020 किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि आवेदक निर्दोष है। इनके द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन को छोड़ कर अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा कोई भी आपराधिक कार्य नहीं किया गया है तथा सम्पूर्ण अभियोजन कथन बनावटी, निराधार एवं मिथ्या है। आरोपित आरोप धारा 30(a) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 आवेदक के विरूद्ध लागू नहीं होता है। आवेदक के विरूद्ध कोई विधिक एवं सकारात्मक साक्ष्य नहीं है। आवेदक के भौतिक कब्जा से उत्पाद संबंधी कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं किया गया है तथा जब्ती सूची के अनुसार बरामद शराब से आवेदक का कोई संबंध नहीं है। सह अभियुक्त चालक भोला राम द्वारा पुलिस के समक्ष दिये गये स्वीकारोक्ति बयान सरासर गलत एवं मिथ्या है तथा जिस ट्रक से अवैध शराब बरामद किया गया है, उस ट्रक से आवेदक का कोई संबंध नहीं है। आवेदक को इस मामला के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उक्त अपराध उसके द्वारा किया गया है तथा ट्रक चालक द्वारा पुलिस के समक्ष दिया गया स्वीकारोक्ति बयान का कोई विधिक महत्व नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास उत्पाद मामला से संबंधित नहीं है। आवेदक एक नवयुवक है और समाज में सभ्रान्त परिवार का सदस्य है तथा पुलिस द्वारा उसके मान सम्मान को भंग करने हेतु यह झुठा मामला उसके विरूद्ध लाया गया है। अग्रिम जमानत पर मुक्त होने के पश्चात आवेदक द्वारा अभियोजन साक्ष्य में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। आवेदक न्यायालय के आदेशानुसार बंध पत्र देने हेतु एवं धारा 438(2)द.प्र.संहिता के विहित शर्त्तों का अनुपालन करने हेतु तैयार है। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद रोहतास सासाराम अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुये इसे अस्वीकृत किये जाने का अनुरोध करते है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात मेरे द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध वाद दैनिकी की छाया प्रति की कंडिका 1 ता 45 का सम्यक परिशीलन किया गया। आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है और इसके विरूद्ध प्राथमिकी के अनुसार अवैध शराब का भंडारण करने एवं उसका परिवहन एवं सह अभियुक्त विष्णु कान्त के साथ मिल कर बिक्रय करने एवं सुनसान स्थान पर सह अभियुक्त विष्णु कान्त के साथ मिलकर उक्त ट्रक में रखें गये अवैध शराब 2732.4लीटर को ट्रक से उतारने हेतु प्रतीक्षा करने का आरोप है। वाद दैनिकी की कंडिका 2 में जब्ती सूची एवं कंडिका 6 में घटनास्थल को उल्लेखित किया गया है। कंडिका 6 में वादी का पुन : बयान है तथा कंडिका 7 में जब्ती सूची के गवाह एवं कंडिका 8 और 9 में अन्य जिन साक्षियों का बयान धारा 161द.प्र.संहिता के तहत अभिलिखित किया गया है, सभी ने घटना का समर्थन किया है तथा वाद दैनिकी से यह भी स्पष्ट है कि काण्ड का अनुसंधान अभी जारी है तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता बहस के दौरान यह दर्शाने में भी असफल रहे है कि प्रथम सूचना(F.I.R) में लगाये गये आरोप से आवेदक के विरूद्ध कथित अपराध सृजन हेतु आवश्यक तत्व मौजूद नहीं है।

उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों, परिस्थितियों वाद की प्रकृति एवं लगाये गये आरोप की गम्भीरता तथा बरामद शराब की मात्रा (2732.4लीटर) एवं पूरे बिहार राज्य में लागू पूर्ण शराब बंदी कानून के बाद भी आवेदक द्वारा अवैध रूप से किये जा रहे शराब के भंडारण, व्यवसाय एवं उसके परिवहन के आरोप तथा उत्पाद अधिनियम के तहत किये गये अपराध के लिये धारा 76(2) बिहार मद्य निषेध एवं संशोधित उत्पाद अधिनियम 2018 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत की पोषणीयता पर विचार करते हुये यह न्यायालय आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का पर्याप्त आधार नहीं पाती है। तदनुसार आवेदक की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 26.08.2020 को **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)

द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह
विशेष न्यायाधीश उत्पाद, रोहतास, सासाराम